राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.11(9)नविवि/ 2020 पार्ट जयपुर दिनांक : 14 SEP 2023

आदेश

राज्य के सभी अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन/अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं यथा अग्नि सुरक्षा यंत्र यथा स्मॉक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, एम. सी.बी. हूटर, फायर अलार्म इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 103(1)(vii), 337 एवं सपठित धारा 255, 291 एवं 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेश एवं परिपत्र अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार एतदवारा फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन.ओ.सी. लिये जाने का प्रावधान निम्नानुसार करती है :–

1. अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित ऐसे अनुमोदित/गैर अनुमोदित निर्मित भवन/परिसर/भवन परिसर का भाग जिनका उपयोग तालिका–1 में उल्लेखित गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, को फायर एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य होगा। नगरीय निकायों में पदस्थापित अग्निशमन अधिकारी यथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी एवं सहायक अग्निशमन अधिकारी जिन्हें निरीक्षण की शक्तियां प्रदत्त की गई हो, वे ऐसे निर्मित भवनों का समय–समय पर निरीक्षण कर सकेंगे। सक्षम अधिकारी (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। फायर अनापत्ति प्रमाण–पत्र अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।
2. अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित अनुमोदित/गैर अनुमोदित अनाधिकृत निर्माण जिनका उपयोग तालिका–1 में उल्लेखित गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, ऐसी गतिविधियों/परिसर हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड–2016 के अध्याय "Fire and Life Safety" में वर्णित अग्निशमन उपकरणों/तकनीकी पैरामीटर्स (Table-7 Minimum Requirements for Fire Fighting Installations) यथा Fire Extinguisher, Hose Reel, Wet Risers, Down Comer, Yard Hydrants, Smoke Detector, Automatic Sprinkler System, Automatic Detection and Alarm System, Under Ground Storage Tank etc." (संलग्नक–अ) की सुनिश्चितता हेतु फायर एन.ओ.सी. जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी से फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन.ओ.सी. लिया जाना आवश्यक है।

तालिका–1

क्र.सं.	भवनों की प्रकृति	गतिविधियां एवं कार्य संगत	विवरण
1.	आवासीय	छात्रावास, पी.जी. (पेईग गेस्ट)	जिनकी ऊँचाई 9 मी. या इससे अधिक तथा जिनका सकल क्षेत्रफल 250 व.मी. से अधिक हो।
		गेस्ट हाउस, धर्मशाला	जिनकी ऊँचाई 9 मी. या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 व. मी. से अधिक है।
		फ्लैट्स/स्टूडियो अपार्टमेन्ट/सर्विस अपार्टमेन्ट	जिनकी ऊँचाई 9 मी. या इससे अधिक तथा जिनका सकल क्षेत्रफल 250 व.मी. से अधिक हो।
		अन्य समस्त प्रकृति के आवासीय प्रस्तावित/निर्मित भवन	जिनकी ऊँचाई 15 मी. या इससे अधिक है।

2.	वाणिज्यक	पण्डाल (स्थाई / अस्थाई)	जिनकी क्षमता 50 व्यक्ति या अधिक है अथवा 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल है।
		होटल	जिनकी ऊँचाई 9 मी. या इससे अधिक अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 व.मी. से अधिक है।
		रेस्टोरेन्ट, बार, रिसोर्ट एवं मोटल	जिनकी क्षमता 20 व्यक्ति या इससे अधिक हो।
		रूफटॉप रेस्टोरेन्ट	समस्त प्रकार के रूफटॉप रेस्टोरेन्ट
		समस्त सभागार भवन	जिनकी क्षमता 50 व्यक्ति या इससे अधिक है एवं जिनका उपयोग मनोरंजक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति सिविल एवं यात्रा इत्यादि हेतु एकत्रित या सभा हेतु उपयोग किया जाता है। जैसे कि थियेटरए चलचित्र, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थल, शादी / समारोह स्थल (मैरिज गार्डन) म्यूजियम, जिम्नेजियम, डांस क्लब, क्लब, एयरपोर्ट, यात्री स्टेशन, स्टेडियम इत्यादि।
		व्यावसायिक एवं व्यापारिक (Mercantile & Business)	जिनकी ऊँचाई 9 मी. या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
		पेट्रोल पम्प / फ्यूल स्टेशन / गैस फिलिंग स्टेशन / अन्य ज्वलनशील पदार्थ स्टोरेज इकाई एवं समस्त हैजार्डस बिल्डिंगस (जैसा की मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम–2020 के बिन्दु संख्या–2.28 में परिभाषित है)	समस्त।
		स्टोरेज बिल्डिंग	सभी तलों को मिलाकर क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर से अधिक हो।
		अन्य समस्त प्रकृति के व्यवसायिक प्रस्तावित / निर्मित भवन	जिनकी ऊँचाई 15 मी. या इससे अधिक हो।
3.	संस्थानिक	हॉस्पिटल / नर्सिंग होम / कोचिंग सेंटर एवं प्रशिक्षण संस्थान	तालिका 3 के बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य सभी भवनों पर लागू।
		शैक्षणिक संस्थान	जिनकी ऊँचाई 9 मी. या इससे अधिक हो एवं जिसका किसी भी तल पर कुल क्षेत्रफल 500 व.मी. से अधिक है।
		सभी प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय भवन	जिनकी ऊँचाई 6 मी. से अधिक तथा जिनमें न्यूनतम 50 व्यक्ति कार्यरत है।

		अन्य समस्त प्रकृति के संस्थानिक प्रस्तावित/निर्मित भवन	जिनकी ऊँचाई 9 मी. या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 व.मी. से अधिक है।
4.	मिश्रित उपयोग	मिश्रित उपयोग के भूखण्ड अथवा वाणिज्यिक भूखण्ड पर मिश्रित उपयोग यथा वाणिज्यिक आवासीय, संस्थागत, होटल, मल्टीप्लेक्स, कार्यालय, एन्टरटेनमेंट कॉम्पलेक्स एक से अधिक उपयोग सम्मिलित रूप से अथवा एकल उपयोग के रूप में अनुज्ञेय होगे।	उपयोग के उपरोक्त क्रम संख्या 2 व 3 में वर्णित संस्थागत अनुसार।
5.	औद्योगिक	अन्य समस्त प्रकृति के औद्योगिक प्रस्तावित/निर्मित भवन	समस्त।
6.	विशेष प्रकृति/ हैजार्डस प्रकृति के भवन	मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम–2020 के बिन्दु संख्या–2.28 के अनुसार	समस्त।
अन्य बिन्दु :– अण्डरग्राउण्ड स्ट्रक्चर्स/बेसमेन्ट जिनमें किसी प्रकार की गैर आवासीय गतिविधि संचालित हो जिसका कुल सकल निर्मित क्षेत्रफल 500 व.मी. से अधिक हो।			

सामान्य निर्देश :–

1 कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत वास्तुविद अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित विषय विशेषज्ञों के माध्यम से तकनीकी परीक्षण एवं भवन निरीक्षण कर अग्निशमन सुरक्षा की रिपोर्ट तैयार कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे।

2 अग्निशमन अनापत्ति प्रमण–पत्र नहीं पाये जाने पर या समुचित अग्निशमन यंत्र नही पाये जाने पर उनके विरूद्व सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित/गैर अनुमोदित निर्मित भवन/परिसर के स्वामी अथवा उपयोगकर्ता पर रू. 5000/– की शास्ति लगाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

3 फायर एन.ओ.सी. जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नगर निगम/परिषद/ पालिका क्षेत्र के साथ–साथ यू.आई.टी./विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल क्षेत्र तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में भी उपरोक्त गतिविधियों के लिए अग्निशमन उपकरणों की सुनिश्चिततापरान्त फायर एन.ओ.सी. जारी की जा सकेगी।

4 अग्निशमन प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/स्वायत्त शासन विभाग/राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्व एजेंसीयों/अग्निशमन अधिकारीयों (उपलब्धता अनुसार) द्वारा अग्निशमन सुविधाओं का वार्षिक निरीक्षण व Mock drill करवाया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा। निरीक्षण हेतु उक्त सूचीबद्व एजेंसीयों का ऑनलाईन फायर पोर्टल द्वारा यादृच्छिक आवंटन किया जावेगा।

5 नगरीय निकाय के सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन.ओ.सी. के आवेदन प्राप्त होने पर समुचित अग्निशमन यंत्र लगे होने तथा चालू हालत में होने की दशा में निर्धारित शुल्क लेकर सामान्य तौर पर प्रतिवर्ष तथा औद्योगिक एवं चिकित्सा प्रकृति के भवनों के संबंध में तालिका–3 एवं तालिका–4 के अनुसार 1 वर्ष/3 वर्ष/5 वर्ष के लिए फायर एन.ओ.सी जारी की जा सकेगी।

6 सूचीबद्व एजेंसीयों द्वारा निरीक्षण का कार्य मुख्य अग्निशमन अधिकारीयों द्वारा बनायी गयी चैक लिस्ट के अनुसार संपन्न किया जावेगा।

7 एन.ओ.सी. जारी होने के एवं सूचीबद्व एजेन्सी द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त भी यदि फायर संबंधित कोई घटना घटित होती है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त एजेन्सी का लाईसेंस रद्व कर संबंधित अधिभोगी पर रू. 5000/– की शास्ति लगाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 291 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी तथा जारी की गई फायर एन.ओ.सी. को रद्व कर किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित घटना के कारण यदि किसी भी तरह की मानवीय क्षति होती है तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा संबंधित थाने में उपरोक्त एजेन्सी एवं अधिभोगी के विरूद्व एफ.आई. आर. दर्ज करायी जावेगी। इस संबंध में रद्व की गई एन.ओ.सी को पुनः जारी किये जाने हेतु यदि अधिभोगी आवेदन करता है तो उस अधिभोगी को पुनः पूर्ण फायर एन.ओ.सी. आवेदन शुल्क तथा फायर सेस राशि जमा करानी होगी।

8 मुख्य अग्निशमन अधिकारी या अग्निशमन अधिकारी समय–समय पर निरीक्षण कर सकेगे तथा समुचित फायर उपकरण चालू हालत में नही पाये जाने पर संबंधित परिसर के उपभोगी को नोटिस जारी कर पाबंद करेगे। संबंधित परिसर के अधिभोगी द्वारा नोटिस की पालना नही करने पर रू. 5000/– की शास्ति लगाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 291 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

9 यह अग्निशमन अनापत्ति पत्र केवल मात्र संदर्भित सम्पति के अग्निशमन की दृष्टि से सुरक्षित किये जाने हेतु निर्देश होंगे। जिसमें उल्लेखित शर्तो/प्रक्रिया के पालन हेतु भू–स्वामी एवं विकासकर्ता बाध्य रहेंगे। अग्निशमन अनापत्ति भवन या परिसर के उपयोगकर्ता के पक्ष में ही जारी की जायेगी।

10 अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी होने पर किसी भी निर्मित भवन/परिसर या भूमि को नियमन के लिए अनुमोदित अथवा स्वामित्व का प्रमाण–पत्र या भवन निर्माण स्वीकृति, अधिवास की स्वीकृति, पूर्णता प्रमाण–पत्र अथवा भू–उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन नहीं माना जायेगा तथा इस संबंध में नियमानुसार पृथक से आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

11 अधिभोगी द्वारा समय पर नवीनीकरण नहीं कराने की स्थिति में रू 5000/– की शास्ति राशि देय होगी जो अग्निशमन सेवा अनुभाग संबंधित नगरीय निकाय के फायर आवेदन शुल्क खाते में जमा किया जावेगा।

12 नगरीय निकाय के फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन.ओ.सी./फायर एन.ओ.सी. नवीनीकरण के आवेदन एवं इस संबंध में सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने पर यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन को 30 दिवस की समयावधि में निस्तारित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन के संबंध में डीम्ड अनुमति मानी जायेगी।

13 जारी की गई फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन.ओ.सी. की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व विधिवत ऑनलाईन फायर एन.ओ.सी. नवीनीकरण हेतु संबंधित नगरीय निकायों में पद स्थापित आयुक्त/उपायुक्त (फायर)/अधिशाषी अधिकारी/अग्निशमन सेवा के अधिकारी को आवेदन करना अनिवार्य होगा, जिसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी/सूचीबद्व एजेन्सी (उपलब्धता अनुसार) नियमानुसार भवन का मौका निरीक्षण कर नवीनीकरण करना सुनिश्चित करेगे।

14 नवीनीकरण हेतु किये जा रहे मौका निरीक्षण के दौरान यदि समुचित उपकरण चालू हालत में नही पाये जाते है तो संबंधित परिसर के अधिभोगी को नोटिस जारी कर नोटिस की पालना कराई जायेगी। इसी प्रकार नवीनीकरण फायर एन.ओ.सी. जारी की जायेगी।

15 तालिका–4 की बिन्दु संख्या–3 के संबंध में नवीनीकरण हेतु निरीक्षण केवल अग्निशमन अधिकारीयों द्वारा ही किया जावेगा।

16 फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन.ओ.सी. के संबंध में नगरीय निकायों में पदस्थापित आयुक्त/उपायुक्त (फायर)/अधिशाषी अधिकारी/अग्निशमन सेवा के अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित नगरीय निकाय में फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन.ओ.सी. का देय आवेदन शुल्क आवेदन के समय लिया जाना अनिवार्य होगा जो संबंधित नगरीय निकाय के फायर आवेदन शुल्क खाते में जमा किया जावेगा। जिसका विवरण तालिका–2 में दिया गया है :–

<u>तालिका–2</u>

क्र. सं.	नगरीय निकाय	फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन. ओ.सी. का देय आवेदन शुल्क (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)	फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन.ओ.सी. नवीनीकरण आवेदन शुल्क (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)
1.	नगर निगम	2/– रू प्रति वर्ग फीट	रूपये 10,000/–
2.	नगर परिषद	1.50/– रू प्रति वर्ग फीट	रूपये 7500/–
3.	नगर पालिका	1/– रू प्रति वर्ग फीट	रूपये 5000/–

17 तालिका–1 की बिन्दु संख्या–3 में वर्णित चिकित्सा संबंधित भवनों को तालिका–3 के अनुसार 5 श्रेणीयों में बांटकर उनका नवीनीकरण किया जावेगा –

<u>तालिका–3</u>

क्र. सं.	चिकित्सा संबंधित भवनों का विवरण	फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/ फायर एन.ओ.सी. नवीनीकरण
1.	भूतल + 1 तल ऊँचाई (बेड के बिना) के भवन एवं 1000 व.मी. प्लॉट एरिया तक	फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/ फायर एन. ओ.सी. आवश्यक नहीं।
2.	भूतल + 1 तल ऊँचाई (बेड सहित)/1000 व.मी. प्लॉट एरिया एवं ऊँचाई 15 मी. तक	प्रति 5 वर्ष
3.	ऊँचाई 15 मी. तक एवं 1000 व.मी. से 3000 व.मी. प्लॉट एरिया तक	प्रति 3 वर्ष
4.	ऊँचाई 15 मी. तक एवं 3000 व.मी. प्लॉट एरिया से अधिक	प्रति वर्ष
5.	15 मी. ऊँचाई से अधिक	प्रति वर्ष

18 तालिका–1 की बिन्दु संख्या–5 में वर्णित औद्योगिक प्रकृति के भवनों को तालिका–4 के अनुसार 3 श्रेणीयों में बांटकर उनका नवीनीकरण किया जावेगा –

तालिका–4

क्र. सं.	प्रकृति	वर्णन /भवन	फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/ फायर एन. ओ.सी. नवीनीकरण
1.	Less Hazard	राष्ट्रीय भवन संहिता–2016 की बिन्दु संख्या–3.1.8 (औद्योगिक भवन) के उपखण्ड G1 में वर्णित	प्रति 5 वर्ष
2.	Moderate Hazard	राष्ट्रीय भवन संहिता–2016 की बिन्दु संख्या–3.1.8 (औद्योगिक भवन) के उपखण्ड G2 में वर्णित	प्रति 3 वर्ष
3.	High Hazard	राष्ट्रीय भवन संहिता–2016 की बिन्दु संख्या–3.1.8 (औद्योगिक भवन) के उपखण्ड G3 में वर्णित	प्रति वर्ष

19 फायरसेस/फायर टैक्स :–

नगरीय क्षेत्र में बहुमंजिला भवनों एवं अन्य भवनों जिनमें अग्निशमन की अनापत्ति लिया जाना अनिवार्य है, उनमें सकल निर्मित क्षेत्र पर नियमानुसार देय अन्य शुल्क के अतिरिक्त राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 103 (1) (vii) में वर्णित फायरसेस/फायर टैक्स " तालिका–5" के अनुसार देय होगा –

तालिका–5

क्र. सं.	प्रस्तावित भवन की ऊँचाई	देय सेस (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)
1.	15 मी. ऊँचाई तक	रू. 50/– प्रति व.मी.
2.	15 मी. से अधिक परन्तु 40 मी. ऊँचाई तक	रू. 100/– प्रति व.मी.
3.	40 मी. से अधिक परन्तु 60 मी. ऊँचाई तक	• रू. 100/– प्रति व.मी. (40 मी. ऊँचाई तक) • रू. 150/– प्रति व.मी. (40 मी. से अधिक परन्तु 60 मी. ऊँचाई तक)
4.	60 मी. से अधिक	• रू. 100/– प्रति व.मी. (40 मी. ऊँचाई तक) • रू. 150/– प्रति व.मी.(40 मी. से अधिक परन्तु 60 मी. ऊँचाई तक) • रू. 200/– प्रति व.मी.(60 मी. ऊँचाई से अधिक)

उक्त राशि आवेदक द्वारा फायरसेस हेतु खोले गये राज्यस्तरीय बैंक खाते में जमा कराई जायेगी एवं निर्माण अनुज्ञा जारी करने वाले प्राधिकरण/न्यास में जमा राशि की रसीद प्रस्तुत की जायेगी। स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण/नगर सुधार प्रयोजनार्थ खोले गये **एक्सिस बैंक खाता संख्या 919010091350994 ब्रांच सी–स्कीम, जयपुर आई.एफ.एस.सी. कोड UTIB0CCH274** में जमा करवाई जायेगी। उक्त राशि के उपयोग राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार राज्य के किसी भी शहर में अग्निशमन उपकरण, प्रशिक्षण, मौकड्रिल इत्यादि में उपयोग किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि किसी भी शहर में उपरोक्त कार्य हेतु स्वीकृत कर सकेगी।

उक्त आदेश सक्षत स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
नगरीय विकास विभाग

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव
स्थानीय निकाय विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
12. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
13. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका समस्त।
14. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक/संयुक्त विधि परामर्शी नगरीय विकास विभाग।
15. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
नगरीय विकास विभाग

Table 7 Minimum Requirements for Fire Fighting Installations
[*Clauses* 4.9(a), 4.9(c), 4.9(c), 5.1.1(a), 5.1.1(d), 5.1.2.1, 5.1.3(a), E-7, H-2(f) *and* Table 2]

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
RESIDENTIAL BUILDINGS (A)													
a)	**Lodging and Rooming Houses** (A-1) (*see* Note 3)												
1)	Less than 15 m in height												
	i) Up to 15 rooms	R	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	NR	NR	NR	5 000 (*see* Note 5)	NR	NR
	ii) More than 15 and up to 30 rooms	R	R	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	NR	NR	NR	5 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)
	iii) More than 30 rooms	R	R	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	R (*see* Note 7)	NR	NR	10 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)
b)	**One or two Family Private Dwellings** (A-2) (*see* Note 3)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
c)	**Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4)**												
1)	Less than 15 m in height	R	R	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	NR	NR	NR	5 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)

Table 7 — (*Continued*)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2)	15 m and above but not exceeding 35 m in height	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R (*see* Note 8)	NR	NR	25 000	NR	900
3)	Above 35 m but not exceeding 45 m in height	R	R	R	NR	NR	R (*see* Note 4 and Note 9)	R	NR	75 000	5 000	(*see* Note 10)	NR
4)	Above 45 m in height but not exceeding 60 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	NR	150 000	10 000	(*see* Note 11)	NR
5)	Above 60 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	10 000	(*see* Note 12 & Note 13)	NR
d)	Hotels (A-5)												
1)	Less than 15 m in height												
	i) Floor area not exceeding 300 m² on any of the floor	R	R	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	5 000 (5000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)
	ii) Floor area exceeding 300 m² but not more 1 000 m² on any of the floor	R	R	R (*see* Note 7)	NR	NR	R (*see* Note 4)	R	R	10 000 for every 500 m² floor area subject to minimum of 50 000 (*see* Note 7)	10 000 (5000) (*see* Note 6)	(*see* Note 14 in case of provision of wet riser)	450 (450) (*see* Note 6)
	iii) Floor area exceeding 1 000 m² on any of the floor	R	R	R (*see* Note 15)	NR	R	R	R (*see* Note 1)	R	100 000 (*see* Note 15)	10 000 (*see* Note 4)	(*see* Note 15 and Note 14)	NR

Table 7 — (*Continued*)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Exting-uisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2)	15 m and above but not exceeding 30 m	R	R	R	NR	R	R	R	R	150 000	20 000	(*see* Note 11)	NR
3)	Above 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 11)	NR
e)	Hotels (A-6)	R	R	R	NR	R	R	R	R	250 000	20 000	(*see* Note 12)	NR
EDUCATIONAL BUILDINGS (B) (*see* Note 16)													
1)	Less than 15 m in height												
	i) Ground plus one or more storeys	R	R	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	NR	NR	NR	10 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)
2)	15 m and above but not exceeding 24 m in height	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	25 000	NR	900
3)	Above 24 m but not exceeding 30 m in height	R	R	R	NR	R	R (*see* Note 4)	R	NR	50 000	(5 000) (*see* Note 6)	(*see* Note 14)	NR
INSTITUTIONAL BUILDINGS (C) (*see* Note 16)													
a)	**Hospitals, Sanatoria and Nursing Homes (C-1)**												
1)	Less than 15 m in height with plot area up to 1 000 m²												
	i) Up to ground plus one storey, with no beds	R	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	(5 000) (*see* Note 6)	NR	(450) (*see* Note 6)

Table 7 — (*Continued*)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	ii) Up to ground plus one storey with beds	R	R	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	5 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)
	iii) Ground plus two or more storeys, with no beds	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R	R	NR	10 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	900 (450) (*see* Note 6)
	iv) Ground plus two or more storeys, with beds	R	R	R	NR	NR	R	R (*see* Note 1)	R	75 000	10 000	(*see* Note 14)	NR
2)	Less than 15 m in height with plot area more than 1 000 m²	R	R	R	NR	R	R	R (*see* Note 1)	R	1 00 000	10 000	(*see* Note 14)	NR
3)	15 m and above but not exceeding 24 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	150 000	20 000	(*see* Note 10)	NR
4)	Above 24 m and not exceeding 45 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 11)	NR
b)	**Custodial (C-2), and Penal and Mental (C-3)**												
1)	Less than 10 m in height												
	i) Up to 300 persons	R	R	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	10 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)
	ii) More than 300 persons	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	15 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	900 (450) (*see* Note 6)

Table 7 — (*Continued*)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2)	10 m and above but not exceeding 15 m in height	R	R	R	NR	R	R (*see* Note 4)	R	R	100 000	5 000 (5 000) (*see* Note 6)	(*see* Note 10)	NR
3)	15 m and above but not exceeding 24 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	150 000	10 000	(*see* Note 11)	NR
4)	24 m and above but not exceeding 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 11)	NR
ASSEMBLY BUILDINGS (D) (*see* Note 16)													
a)	**Buildings (D-1 to D-5)**												
1)	Less than 10 m in height												
	i) Up to 300 persons	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	20 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)
	ii) More than 300 persons	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	25 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	900 (450) (*see* Note 6)
2)	Above 10 m but not exceeding 15 m in height	R	R	R	NR	NR	R (*see* Note 4)	R (*see* Note 1)	R	100 000	5 000 (5 000) (*see* Note 6)	(*see* Note 10)	450 (450) (*see* Note 6)
3)	Above 15 m but not exceeding 24 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	150 000	10 000	(*see* Note 10)	NR
4)	Above 24 m but not exceeding 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 11)	NR
b)	D-6	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 12)	NR
c)	D-7	For details *see* 6.4.4											

Table 7 — (*Continued*)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BUSINESS BUILDINGS (E)													
1)	Less than 10 m in height	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	10 000 (5 000) (*see* Note 5)	NR	450 (450) (*see* Note 6)
2)	Above 10 m but not exceeding 15 m in height	R	R	R	NR	NR	R (*see* Note 4)	R	R	50 000	5 000 (5 000) (*see* Note 5)	(*see* Note 14)	450 (450) (*see* Note 6)
3)	Above 15 m and up to 24 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	100 000	10 000	(*see* Note 10)	NR
4)	Above 24 m and up to 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	150 000	20 000	(*see* Note 11)	NR
5)	Above 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 12)	NR
MERCANTILE BUILDINGS (F)													
a)	F-1 and F-2 (*see* Note 16)												
1)	Less than 15 m in height												
	i) Ground plus one storey, with total of all floor area not exceeding 500 m²	R	R	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	NR	NR	NR	5 000 (5 000) (*see* Note 5)	NR	450 (450) (*see* Note 6)

Table 7 — (*Continued*)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	ii) Ground plus one storey and total of all floor area exceeding 500 m²	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	20 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	900 (450) (*see* Note 6)
	iii) More than ground plus one storey	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	25 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	900 (450) (*see* Note 6)
2)	Above 15 m but not exceeding 24 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	100 000	10 000	(*see* Note 10)	NR
3)	Above 24 m but not exceeding 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 11)	NR
b)	Underground shopping complex (F-3)	R	R	R	NR	R	R	R	R	150 000	10 000	(*see* Note 11)	NR
	INDUSTRIAL BUILDINGS (G) (*see* Note 17)												
a)	Low Hazard (G-1) (*see* Note 18)												
	i) Covered area up to 100 m²	R	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	NR	NR	NR	5 000 (*see* Note 5)	NR	450 (*see* Note 5)
	ii) Covered area more than 100 m² and up to 500 m²	R	R	NR	R (*see* Note 8)	NR	R (*see* Note 4)	NR	NR	NR	20 000 (5 000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)

Table 7 — (*Continued*)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	iii) Covered area more than 500 m² (for building height up to 15 m)	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	20 000 (5000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)
	iv) Covered area more than 500 m² (for building height above 15 m)	R	R	R	NR	R	R (*see* Note 4)	R	R	75 000	5 000 (*see* Note 6)	(*see* Note 14)	NR
b)	**Moderate Hazard (G-2)** (*see* Note 18)												
	i) Covered area up to 100 m²	R	R	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	10 000	NR	450
	ii) Covered area more than 100 m² and up to 500 m²	R	R	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	20 000	NR	900
	iii) Covered area more than 500 m² and up to 1000 m² (for height up to 15 m)	R	R	NR	R	NR	R	R	R	NR	50 000	NR	900
	iv) Covered area more than 500 m² and up to 1000 m² (for height above 15 m)	R	R	R	NR	R	R	R	R	100 000	10 000	(*see* Note 14)	NR
	v) Covered area more than 1000 m²	R	R	R	NR	R	R	R	R	150 000	20 000	(*see* Note 11)	NR

Table 7 — (*Continued*)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
e)	**High Hazard (G-3)** (*see* Note 19)												
	i) Covered area up to 50 m²	R	R	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	10 000	NR	900
	ii) Covered area more than 50 m² and up to 150 m²	R	R	NR	NR	NR	R	R	R	NR	25 000	NR	900
	iii) Covered area more than 150 m² and up to 300 m²	R	R	R	NR	NR	R	R	R	50 000	10 000	(*see* Note 14)	NR
	iv) Covered area more than 300 m² and up to 500 m²	R	R	R	NR	R	R	R	R	100 000	20 000	(*see* Note 10)	NR
	v) Covered area more than 500 m²	R	R	R	NR	R	R	R	R	150 000	20 000	(*see* Note 11)	NR
STORAGE BUILDINGS (H) (*see* Note 20)													
1)	Below 15 m in height and covered area less than 250 m²	R	R	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	25 000	NR	900
2)	Below 15 m in height and covered area more than 250 m²												
	i) Ground floor only	R	R	R	NR	R	R	R	R	50 000	10 000	(*see* Note 14)	450
	ii) Ground plus one floor	R	R	R	NR	R	R	R	R	75 000	10 000	(*see* Note 10)	450

Table 7 — (*Continued*)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	iii) More than ground plus one floor	R	R	R	NR	R	R	R	R	100 000	10 000	(*see* Note 10)	450
3)	Multi-Level Car Parking (MLCP)	R	R	R	NR	R	R	R	NR	150 000	10 000	(*see* Note 11)	900
HAZARDOUS BUILDINGS (J) (*see* Note 20)													
1)	Up to 15 m in height												
	i) Single Storey Building	R	R	R	NR	R	R	R	R	Minimum 240 min firefighting requirements	NR	(*see* Note 21)	NR
	ii) More than one floor building but not exceeding 15 m	R	R	R	R	R	R	R	R	Minimum 240 min firefighting requirements	50 000	(*see* Note 21)	900

R – Required
NR – Not Required

NOTES

1 MOEFA System shall also include talk-back system and public address system for the occupancies given in the table for (d) (1) (iii) under A-5, (a) (1) (iv) and (a) (2) under C-1, and (a) (2) under D-1 to D-5, in all buildings 15 m and above in height, except for A-3 and A-4 occupancies where these shall be provided for buildings of height 24 m and above. These shall also be provided in car parking areas more than 300 m² and in multi-level car parking irrespective of their areas.

2 Automatic detection and alarm system is not required to be provided in car parking area. Such detection system shall however be required in other areas of car parking such as electrical rooms, cabins and other areas.

3 Buildings above 15 m in height are not to be permitted for occupancies A-1 and A-2.

4 Required to be installed in basement, if area of basement exceeds 200 m².

5 Required to be provided if basement area exceeds 200 m².

Table 7 — (*Concluded*)

6 Additional value given in parenthesis shall be added if basement area exceeds 200 m².
7 Required to be provided for buildings with more than two storeys (Ground + One).
8 Required to be provided for buildings with height above 15 m and above.
9 Sprinklers shall be fed water from both underground static water storage tank and terrace tank.
10 Provide required number of sets of pumps each consisting of one electric and one diesel pump (stand by) of capacity 2 280 litre/min and one electric pump of capacity 180 litre/min (*see* Fig. 11) (*see also* notes 22 and 23).
11 Provide required number of sets of pumps each consisting of two electric and one diesel pump (stand by) of capacity 2 280 litre/min and two electric pump of capacity 180 litre/min (*see* Fig. 12) (*see also* Notes 22 and 23).
12 Provide required number of sets of pumps each consisting of two electric and one diesel pump (stand by) of capacity 2 850 litre/min and two electric pump of capacity 180 litre/min (*see* Fig. 12) (*see also* Notes 22 and 23).
13 Lower levels in high rise buildings 60 m or above in height are likely to experience high pressure and therefore, it is recommended to consider multi-stage, multi-outlet pumps (creating pressure zones) or variable frequency drive pumps or any other equivalent arrangement.
14 Provide required number of sets of pumps each consisting of one electric and one diesel pump (stand by) of capacity 1 620 litre/min and one electric pump of capacity 180 litre/min (*see* Fig. 11) (*see also* Notes 22 and 23).
15 Required to be provided for buildings with more than one storey.
16 Buildings above 30 m in height not to be permitted for Group B, Group C, Group D and Group F occupancies.
17 The requirements given in this table for Group G Industrial Buildings are for small scale industry units. For other industries the requirements will have to be worked out on the basis of relevant Indian Standards and also in consultation with the local fire authorities.
18 Buildings above 18 m in height not to be permitted for G-1 and G-2 occupancies.
19 Buildings above 15 m in height not to be permitted for G-3 occupancies.
20 Buildings above 15 m in height not to be permitted for Group H and Group J occupancies. However, buildings above 45 m in height shall not be permitted for multi-level car parking (MLCP) occupancy.
21 Pump capacity shall be based on the covered area of the building.
22 One set of pumps shall be provided for each 100 hydrants or part thereof, with a maximum of two sets. In case of more than one pump set installation, both pump sets shall be interconnected at their delivery headers.
23 Alternative to provisions of additional set of pumps, the objective can be met by providing additional diesel pump of the same capacity and doubling the water tank capacity as required for one set of pumps.
24 As per the requirement of local authority dry riser may be used in hilly areas, industrial areas or as required.